

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:

—:संशोधित आदेश:—

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.1(136)नविवि/जयपुर/2024 दिनांक 27.11.2024 द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 01.07.2022 अभियान समाप्त होने के कारण वर्तमान में लागू नहीं होने से, उक्त के संबंध में नई दरें प्रस्तावित करते हुए नया परिपत्र/आदेश तैयार किये जाने हेतु गठित कमेटी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 10.12.2024 तक प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसे बढ़ाकर दिनांक 31.12.2024 किया जाता है।

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. अति० निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि।
10. सहा० लेखाधिकारी—प्रथम, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव—प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary to Government
Date :10-12-2024 01:05:36